IV. 4/09

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु.50 | Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 022480

हरिश्चन्द्र यादव
परगना शादियाबाद
जनपद गाजीपुर
चन्द्रभान यादव
20-1-2009

जनसेवा ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास आज दिनांक 19/01/2009 को गाजीपुर में जवाहर यादव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र यादव ग्राम–जखनियां पो0–जखनियां विकास खण्ड व तहसील–जखनियां जिला–गाजीपुर उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया ।

जिन्हें आगे न्यासकर्ता /संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रुपया 5000/–(पांच हजार रुपये मात्र) की राशि है । जिसे की वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते हैं । न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है ,जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रुप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा,क्योंकि यह ट्रस्ट *जनसेवा ट्रस्ट* के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा ,जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा ।

क्योकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा । न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से दान ,उपकार ,ऋृण आदि भी सम्मिलित है,जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रुप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकुल 5000/–रु0 पांच हजार रुपया) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है ।

४०५५ [illegible] २० १००६

[illegible] जन सेवा ट्रस्ट

[illegible] जवाहर यादव पु० हरिश्चन्द्र यादव सा० जखनिया

प० [illegible] गाजीपुर

[illegible] ५०) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] कार्यालय [illegible]

[illegible] ५०००/-

शुल्क निबन्धन शुल्क प्रतिलिपि [illegible] योग [illegible]
१००/- ५०/- १५०/- २८००

श्री जवाहर यादव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र यादव
पेशा खेती निवासी जखनिया [illegible] गाजीपुर
जिला [illegible]
उप-निबन्धक [illegible]
[illegible] २०/१/९ समय ३.
१...५...बजे दिन में [illegible]

जवाहर यादव

[illegible]
उप निबन्धक २०/१/९
जखनिया

[illegible] ५०००/ [illegible]
[illegible] जवाहर यादव [illegible]

[illegible] श्री श्यामजी यादव
पुत्र श्री रामलखन यादव [illegible] खेती [illegible]
[illegible] [illegible] गाजीपुर
[illegible] चन्द्रभान यादव [illegible]

[illegible]
उप निबन्धक २०/१/९
जखनिया

जवाहर यादव

श्यामजी यादव

चन्द्रभान यादव

[illegible]
[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 022481

और क्योकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम–जखनियां पो0–जखनियां विकास खण्ड जखनियां व तहसील–जखनियां जिला–गाजीपुर रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम–जखनियां पो0–जखनियां विकास खण्ड जखनियां व तहसील–जखनियां जिला–गाजीपुर होगा । अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय–समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा ।

क्योकि न्यासकर्ता /ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है ।

जनसेवा ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

<u>उद्देश्य एवं नियमावली –</u>

ट्रस्ट के उद्देश्य– ट्रस्ट नियम उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।

1– बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला ,जूनियर हाईस्कूल ,इण्टरमीडिएट कालेज ,महाविद्यालय,पुस्तकालयों ,वाचनालयों ,प्रयोगशालाओं चिकित्सालयों ,अनाथालयों ,वृद्धाआश्रमों ,अनुसंधान केन्द्रों ,छात्रावासों ,कम्प्यूटर केन्द्रो ,निराश्रितों केन्द्रो ,सर्वेक्षण केन्द्र ,सामुदायिक विकास केन्द्रों ,पर्यावरण ,एड्स उत्थान केन्द्रो की स्थापना करना,नामकरण विकास ,सम्बद्ध आबद्ध ,प्रबन्धन संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों ,प्रतिष्ठानों संस्थाओं ,स्थानों ,शासन आदि से उन्हें मान्य सम्बद्ध ,आबद्ध ,पंजीकृत ,अनुमोदित ,स्वीकृत करा सकना ।

क्रमशः.........3

४०५६ २०/2006 ५०) का स्थान क्र० ४०५५

[illegible] समिति (उ०प्र०)

जखनिया जिला

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 022482

2– ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना ।

3– खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना ।

4– कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना ।

5– उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना ।

6– महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यकम संचालित करना ।

7– प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना ।

8– कृषि संगीत संबंधित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना ।

9– केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण ,नाबार्ड,कपार्ट,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ,समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड ,महिला कल्याण ,नेहरु युवा केन्द्र ,खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय , ग्राम विकास मंत्रालय , आदि सभी विभागों के कार्यकम का संचालन करना ।

10– आई0आई0टी0 ,आई0टी0 आई0 ,फार्मेसी,नर्स ट्रेनिंग ,आपरेशन टेक्निशियन ,लैब टेक्निशियन ,फिजियोथीरैपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना ।

11– समाज के लोगो के लिए हास्पिटल नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र ,मेडिकल स्टोर ,जनरल स्टोर ,किराना की दुकान ,फोटोस्टेट,टाइपिंग,कम्पनी,फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना ।

कमशः............4

४०५६ २०१/२०० ४०५५

सब रजिस्ट्रार जखानिया जिला

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 022483

12– पुस्तकालय,वाचनालय,पत्र/पत्रिकाओं ,समाचार–पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण ,बिकी एवं मूल्य का निर्धारण करना ।

13– अंधे गूंगे ,बहरे ,असहाय लोगों के लिये शिक्षा चिकित्सा ,आवास ,भोजन,इत्यादि की व्यवस्था करना ।

14– विभिन्न विषयों एवं पाठ्यकमों तथा व्यावहारिक प्रायोगिक कला ,वाणिज्यक वैज्ञानिक ,क्रीड़ा ,मार्शल आर्ट ,संगीत ,तकनीकी ,सामाजिक ,आधुनिक भाषा अंग्रेजी,उर्दू, कम्प्यूटर ,प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना ।

15– विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन ,अध्यापन आवास ,आदि संविधाओं का व्यवस्था करना ।

16– पुस्तकों साहित्य पत्रों ,पाठ्यकमों आदि का सृजन सम्पादन ,प्रकाशन , मुद्रण , वितरण आदि कर सकना ।

17– सांस्कृतिक कार्यकम ,पर्यायवरण कार्यकम,एड्य कार्यकम , अधिवेशन ,गोष्ठियों ,सम्मेलन प्रयिोगिताएं,बैठके, विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यकम आदि आयोजित कर सकना ।

18– सिलाई ,कढाई ,बुनाई ,स्क्रिन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना ।

19– व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों ,महाविद्यालयों ,विधी महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज,इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनकों इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना ।

जवाहर प्रसाद

कमशः..........5

दफ्तर सब रजिस्ट्रार जखानिया जिला गाजीपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 022484

20– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना ।

21– विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना ।

22– आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना ।

23– कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार–प्रसार कर सकना ।

24– पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यायवरण सुार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना ।

25– एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना ।

26– पुस्तक ,पुस्तिकाएं ,पत्र ,पत्रिकाएं ,समाचार–पत्र आदि को प्रकाशित ,सम्पादित वितरित ,विकति कर सकना ।

27– ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं /वस्तुओं के लिये समुचित शुल्क /मुल्य /निर्धारित करना तथा प्राप्त करना ।

28– पत्राचार द्वारा अध्यापन , अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना ।

29– उपभोक्ता अधिकार ,पर्यावरण सुधार ,उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना ।

30– धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोधार कर सकना ।

31– जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यकमों का आयोजन कर सकना तथा कियान्वयन कर सकना ।

कमशः...........6

४०५-६ [illegible] २० [illegible] ५०) [illegible] ४०५५

[illegible]

उप रजिस्ट्रार जखनिया जि[illegible]

32– विभिन्न आयोजनों एवं कारणो हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता ,स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना ।

33– विभिन्न संस्थाओं ,विद्यालयों ,महाविद्यालयों ,मेडिकल कालेज ,इंजीनियरिंग कालेजों टेक्निकल कालेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना ।

34– ट्रस्ट के कोष एवं संपदा में वृद्धि करना , विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना ।

35– ट्रस्ट जनसामान्य के द्वितीय कार्य करेगा । ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं /वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा । ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खडन्जा तालाबों का निर्माण ,मछली पालन ,पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना ।

36– ट्रस्ट केवल वितीय लाभ के लिए ही कार्य नही करेगा । जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।

37– ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा ।

38– किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनिक का निर्माण करना ।

39– किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना । फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना ।

Gajendra 2029

क्रमशः........7

जखनिया जिला

40– संगठन को मजबूत एवं कियाशील बनाने के लिए जिला प्रदेश देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना ।

41– दलित पिछड़ो अल्प संख्यको कासंगठन बनाकर समाज में फैली बुराइयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर ,राजनैतिक स्तर ,आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना ।

42– धरना ,प्रदर्शन ,कार्यक्रम ,गोष्ठी ,सम्मेलन ,सेमिनार वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन –प्रशासन तक पहुचाना ।

43– शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना ।

प्रारम्भिक उपबन्ध –

1– वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से ***जवाहर यादव*** जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है ।

2– यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष जवाहर द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय जो ***जवाहर यादव*** की मृत्यु के पश्चात उनके सबसे बड़े लडके इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होगें ।

3– वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकायिों को स्थानान्तरित कर सकते है ।

मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी / हस्तानान्तरण :–

1– मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकरी मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष की वयवस्था कर दें ।

जवाहर यादव

कमश..................8

जखनिया

2– मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है ।

3– किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का पद बनते ही वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगें तो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष के प्रदत्त किये गये ।

4– मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष पद पर आसिन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष बनेगा । कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकरी अािनियम की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है ।

5– कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष लिखित रुप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दें । मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहा रजिस्टर्ड करा के अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है । इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की गई वसीयत/इच्छा /व्यवस्था ही अन्तिम रुप से मान्य होगी ।

6– यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रुप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा ।

प्रवाह प्रपट

कमश...................9

जखनिया जिला

7– कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रुप से कार्य भार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें ।

8– कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया । कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा ।

4– बोर्ड आफ ट्रस्टीज –

1– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन क सकता है , जिसमें कि अधिकतम इक्कीस सदस्य होगें ।

2– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा । ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताएं ट्रस्टी के पद से हटा सकता है ।

3– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष स्वयं करेगा ।

4– यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्ही विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनकों मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

5– यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वाकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है । इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा ।

(5) अध्यक्ष /मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं –

1– यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रुप से मान्य होगा ।

2– यह कि ट्रस्टी /अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय /भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी /अध्यक्ष स्वंय अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा । ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नही होगा ।

क्रमशः......10

रजिस्ट्रार जखनिया जिला गाजीपुर

6– कार्यक्षेत्र –

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यवित विशेष सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है ।

7–मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का विशेषाधिकार –

मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी /कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त /स्वीकृत/अस्वीकृत संशोधित कर दे । मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रुप से मान्य एवं स्वीकार होगा ।

8–सचिव/उपसचिवों की नियुक्ति –

1– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा ।

2– यह कि सचिव /उपसचिवों के वेतन भत्ते सुविधाएं,कार्य नियम ,मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेगें ।

3– यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगें । मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदो पर कार्यरत व्यवितयों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक /अनुशासनात्मक / प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पक्षो के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित /प्रदान कर सकता है ।

9–उपाध्यक्ष की नियुक्त–

1– मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष ,ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यो को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्त एवं आवश्यकता पडने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्त सकेगा ।

2– यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष क्षरा निश्चित किये जायेगें ।

3– यह कि उपायक्ष /उपाध्यक्षों , मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त,कार्य करेगें । मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बतायें उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है ।

क्रमशः.......11

जखनिया जिला

(10) अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य –

यह कि इस ट्रस्ट के डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष /ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होगें –

क– बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना ।

ख– ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढंग से देख–रेख करने के उपाध्यक्ष सचिव उपसचिवों की नियुक्ति करना ।

ग– इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन /परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा ।

(11) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य –

अध्यक्ष /ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार –विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नही ले सकता ।

(12) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य –

ट्रस्ट के समस्त कार्यो के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रुप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है । ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है –

1– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना ।

2– ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना ।

3– ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना ।

4– विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठो/विभागों केन्द्रों /संस्थाओं /उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना ।

5– ट्रस्ट संख्या को प्राप्त किसी शिकायत की जांच निर्णायक नियुक्त कर सकना ।

6– एक से अधिक विशेष कार्यधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।

7– प्रचार/प्रसार/मुदण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना ।

8– जनसामान्य के कल्याणर्थ विभिन्न आयोजन कर सकना ।

(13)– उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य –

1– सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना ।

2– सचिव द्वारा लिखित रुप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारो/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रुप से प्राप्त है ।

3– सचिव द्वारा लिखित रुप से कार्यभार /कर्तव्यों का पालन करना ।

क्रमशः.........12

णिया जिला

(14) बैंक एकाउण्ट करना –

1– ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष स्वय अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशो के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है ।

2– ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय /महाविद्यालय/ संस्थान/केन्द्र /कार्यक्रम ईकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है इस स्थिति में स्वंय ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है ।

(15) विधिक कार्यवाही –

यदि संस्था / ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्त एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वंय या अन्य को अधिकृत कर सकता है ।

(16) सम्पत्ति सम्बन्धी –

1– ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकृत रखता है जो कि एक नागरिक /व्यक्ति को प्राप्त होते है ।

2– ट्रस्ट की ओर से चल /अचल सम्पति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है ।

3– ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पति के सम्बन्ध में कोई भी लेख–विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है ।

4– ट्रस्ट चल/अचल सम्पति क्रय–विक्रय कर सकता है रेहन रख सकता है किराये पर दे सकता है ले सकता है अथवा दे सकता है ।

5– ट्रस्ट किसी से ऋृण ,दान ,उपहार,आग्रह ,भेट ,सम्मान पुरस्कार ,स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और देसकता है ।

6– ट्रस्ट धन को कही भी विनियोजित कर सकता है सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है ।

7– चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्यिभूति भाड़ा क्रय अनुज्ञप्ति बन्धक भारित गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है /ले सकता है दे सकता है ।

(17) विशेष –

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित /कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय /कार्यक्रम/ईकाई /कार्यालय /संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम /उपनियम बनाये जा सकते है परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट

जवाहर पाण्डे

क्रमशः.........13

जनसेवा ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो वह नियम /उपनियम अतिकमण की सीमा तक शून्य होंगे ।

(ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी /किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी /किन्ही प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है । इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कही भी किसी न्यायालय में चुनौती नही जा सकेगी । **जनसेवा ट्रस्ट** की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित **जनसेवा ट्रस्ट** के उद्देश्य एवं नियमावली एतदद्वारा अधिनियमित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है । कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये ।

साक्षीगण

1. नाम श्यामजी यादव S/o श्री रामकरन यादव
   पता ग्राम+पो० अलीपुर मदरा
   जिला - गाजीपुर
2. नाम सुनील सिंह यादव पुत्र स्व० लोचन सिंह यादव
   पता साकिन· पदुमपुर टाउन पोस्ट पदुमपुर
   जनपद गाजीपुर

गाजीपुर

जवाहर यादव

जवाहर यादव
(संस्थापक / अध्यक्ष)

जनसेवा ट्रस्ट

चन्द्रभान यादव एडवोकेट
20-1-2009

मसविदाकर्ता

दिनांक 20-1-2009.

आज दिनांक 20-1-09 को फोटो स्टेट प्रति
231/258 मुकदमा नं० IV 4 के पृष्ठ
पर रजिस्ट्री ... 4

उप निबन्धक
जखनिया

जखनिया

(1) E. 4450

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 496062

26 NOV 2018

प० गना शादियाबाद
जनपद गाजीपुर
चन्द्रभान यादव एड०
3-12-2018

प० गना शादियाबाद
जनपद गाजीपुर
चन्द्रभान यादव एड०
3-12-2018

प० गना शादियाबाद
जनपद गाजीपुर
चन्द्रभान यादव एड०
3-12-2018

जन सेवा ट्रस्ट (पूरक पत्र)

न्यास विलेख (*Instrument of Trust*)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 03–12–2018 को जखनियां गाजीपुर में जवाहर यादव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र यादव निवासी ग्राम जखनियां पोस्ट जखनियां विकास खण्ड व तहसील जखनियां जनपद गाजीपुर उ०प्र० द्वारा घोषित किया गया जिन्हें आगे न्यास कर्ता/संस्थापक कहां जायेगा। इस संलेख पत्र की आवश्यकता इस प्रकार उत्पन्न हुई की हम न्यास कर्ता एक किता न्यास पत्र दिनांक 20–01–2009 को तहरीर कराकर उपनिबंधक

जवाहर यादव

बिक्री की ता० 3.12.2018 मूल्य 400 क्र०सं० 13002

स्टाम्प विक्रय करने का प्रयोजन ट्रेन्सफर

क्रेता का नाम व पता जवाहर यादव पुत्र श्री हरिश्चन्द्र यादव

साठ जखनियाँ पो० [illegible] जिला गाजीपुर

त्रिभुवन नारायण सिंह यादव

स्टाम्प विक्रेता त्रिभुवन नारायण सिंह यादव

ला० नं० 119 ता० अवधि 31 मार्च 20 21

तहसील परिषद, जखनियाँ-गाजीपुर

(2)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EK 929039

NOV 2018

गाजीपुर

कार्यालय जखनियां गाजीपुर में वही नं0 *IV* जिल्द सं0 4 के पृष्ट सं0 231/258 के क्रम सं0 4 दिनांक 20-01-2009 को रजिस्ट्रीकृत दर्ज हैं न्यास पत्र में निम्नलिखित अन्य प्रतिबंध और अंकित करना हैं।

अन्य प्रतिबंध

सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 से मान्यता प्राप्त हेतु निम्नलिखित प्रतिबंधो का अनुपालन के सन्दर्भ में –

क– विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

ख– विद्यालय के प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

https://igrsup.gov.in/igrsup/show

१३०२८ दि० 3.12
मूल्य 100 — 2018
[illegible] १३०२८ के साथ
[illegible]
स्टाम्प [illegible] नारायण सिंह यादव
ला० [illegible] मार्च 20[illegible]
तह० [illegible], जखनियाँ-गाजीपुर

पूरक लेखपत्र

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560

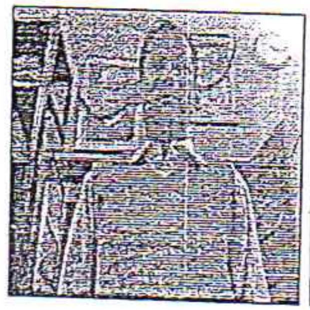

श्री जवाहर यादव ,
पुत्र श्री हरिश्चन्द्र यादव
व्यवसाय : कृषि
निवासी: जखनियाँ पर०शा०बाद तह०जखनियाँ जिला गाजीपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 03/12/2018 एवं 04:16:12 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबंधक जखनियाँ
उप निबंधक :जखनिया
गाजीपुर
03/12/2018

गाजीपुर जखनिया लिपिक
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

प्रिंट करें

(31)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

EK 929040

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16 NOV 2016

ग– विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसें उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

घ– संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यिम शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं तथा विद्यालय का संबंधता सेंन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

प्रथम पक्ष: 1

तहसील परिषद, जखनियाँ, गाजीपुर

श्री जवाहर यादव, पुत्र श्री हरिश्चन्द्र यादव

निवासी: जखनियाँ पर०शा०बाद तह०जखनियाँ जिला गाजीपुर

व्यवसाय: कृषि

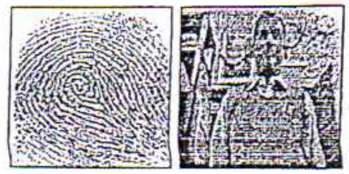

द्वितीय पक्ष: 1

श्री जवाहर यादव, पुत्र श्री हरिश्चन्द्र यादव

निवासी: जखनियाँ पर०शा०बाद तह०जखनियाँ जिला गाजीपुर

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री हरिश्चन्द्र राम , पुत्र श्री स्व० काशीनाथ

निवासी: जखनियाँ गोविन्द पर०शा०बाद तह०जखनियाँ जिला गाजीपुर

व्यवसाय: कृषि

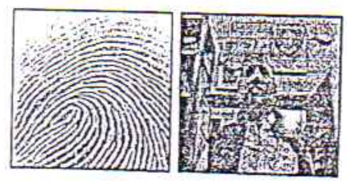

पहचानकर्ता : 2

श्री नगरू यादव , पुत्र श्री रामचन्द्र यादव

निवासी: भुडकुडा पर०शा०बाद तह०जखनियाँ जिला गाजीपुर

व्यवसाय: कृषि

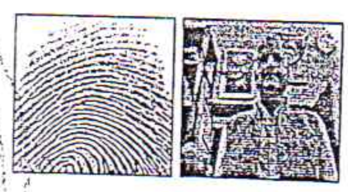

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है
।

टिप्पणी :कालम सं० ९ लागू नही है।

उप निबंधक जखनियाँ
उप निबंधक : जखनिया
गाजीपुर

गाजीपुर जखनिया लिपिक
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

प्रिंट करें

(4)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EK 929041

ड़– संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा भत्तों से कम से वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दियें जायेगें।

च– कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और इन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यिम विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध करायें जायेगें।

छ– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत कियें जायेगें संस्था उसका पालन करेगी।

ज– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हा तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शाषन के सभी प्रतिबन्ध कम एक से आठ तक स्वीकार हैं।

१५०३१ ता. ५.१२.२००८
मूल्य ... १०००
१५०५८ के साथ

स्टाम्प विक्रेता त्रिभुवन नारायण सिंह यादव
ला० नं० 119 ला० अव०, मार्च 2008
तहसील परिषद, कार्यालय गाजीपुर

(५)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EK 929042

झ– उक्त प्रतिबंध कम क से ज तक बिना सासन के अनुमति से परिवर्तन/परिवर्धन/संसोधन नही किया जायेगा।

उक्त न्यास विलेख में निम्नलिखित सदस्य हैं

सदस्य का नाम–	पिता का नाम	उम्र	पता
अशोक कुमार यादव	श्री रामजग यादव	44वर्ष	शेरअलीगढ़ बहरियाबाद गाजीपुर
किशुन यादव	श्री बलिकरन यादव	55वर्ष	महारबुजुर्ग रामपुरबेलमद्र गाजीपुर

इस वास्ते यह पूरक पत्र लिख दिया कि यह प्रमाण रहे व समय वक्त काम आवे उक्त पूरक न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्ष्यों की उपस्थिती में हस्ताक्षर कर दियें गयें।

१३०३७ ता० 3-10-2018
...मेमत ... १००
... के साथ १३०१८

त्रिभुवन नारायण सिंह यादव

स्टाम्प विक्रेता त्रिभुवन नारायण सिंह यादव
ला० नं० 119 ता० अ... 31 मार्च 2020
तहसील परिषद, जखनियाँ-गाजीपुर

(द)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EK 929047

उप कोषागार
28 NOV 2018
जखनियाँ-गाजीपुर

टाईप कर्ता
अमन कुमार

मसविदाकर्ता
अशोक कुमार यादव एड0
पं0सं0यू0पी0 931/2000
तहसील जखनियां गाजीपुर

साक्षीगण–

1– नाम हरिश्चन्द्र राम S/o स्व. काशीनाथ
पता ग्रा.-जखनियाँ गोविन्द
पो. जखनियाँ
जि.-गाजीपुर
9451320039

2– नाम नगरू यादव S/o श्री रामचन्द्र यादव
पता ग्रा. पो. गुड़कुड़ा . गाजीपुर

दिनांक 3-12-2018 9415833871

जवाहर यादव
जवाहर यादव
ट्रस्टी/अध्यक्ष
जन सेवा ट्रस्ट

जवाहर यादव

001 93033 दिनांक 3.12.2018
कीमत 100
... 93022 के साथ

त्रिभुवन नारायण सिंह यादव
स्टाम्प विक्रेता त्रिभुवन नारायण सिंह यादव
ला० नं० 119 ता० अवधि 31 मार्च 20 20
तहसील परिषद, जखनियाँ-गाजीपुर

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 2067 के पृष्ठ 351 से 362 तक क्रमांक 4450 पर दिनाँक 03/12/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबंधक जखनियाँ
उप निबंधक : जखनिया
गाजीपुर
03/12/2018

प्रिंट करें

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 32(1) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह-

नाम निष्पादनकर्ताओं / विक्रेता / क्रेता जवाहर यादव

दाहिना हाथ

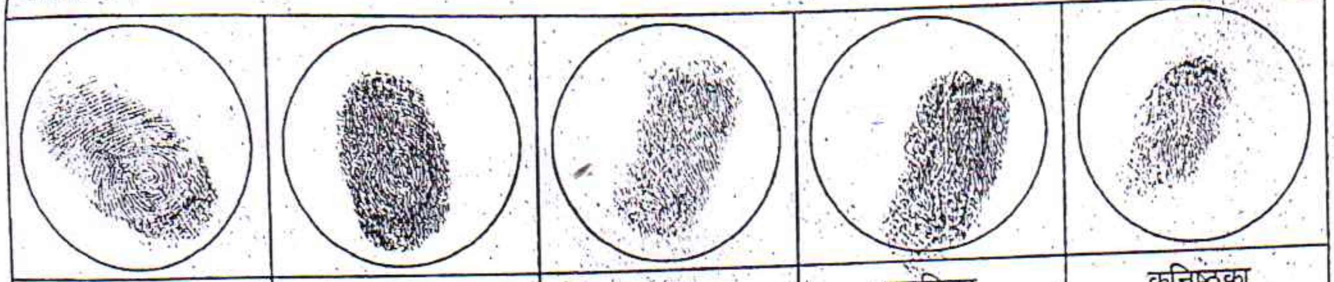

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का -

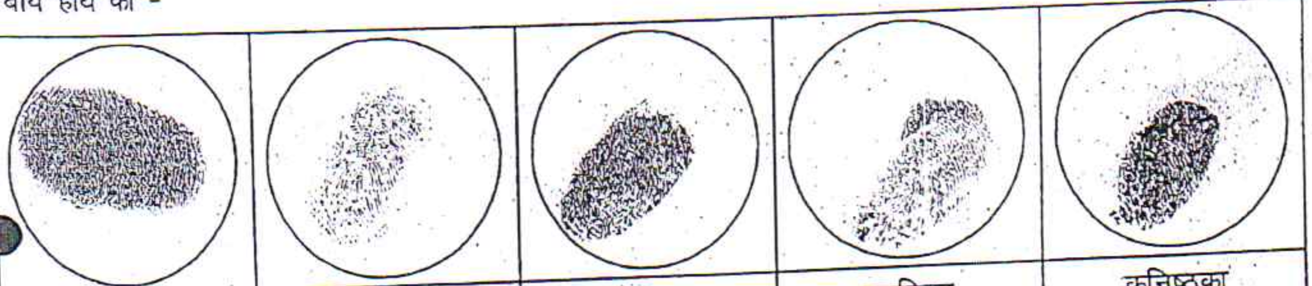

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर जवाहर यादव

नाम निष्पादनकर्ताओं / विक्रेता / क्रेता

दाहिना हाथ

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का -

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

आज दिनांक 20-1-09 [illegible] स्टेट प्रति
पुस्तक सं. IV [illegible] 4 के पृष्ठ
231/258 4

उप निबन्धक
जखनिया

[illegible] जखनिया [illegible]